न्यायाधीश परमोड कोहली के समक्ष

गुरदियाल सिंह -याचिकाकर्ता

बनाम

अंबाला सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य -उत्तरदाता
C.W.P. नं. 4138 सन् 2010
27 अक्टूबर, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-याचिकाकर्ता से जूनियर को पदोन्नत किया गया-याचिकाकर्ता अपील दायर कर रहा है-अपीलीय प्राधिकरण याचिकाकर्ता की पदोन्नति का आदेश देता है जिस तारीख से उसके जूनियरों को पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता के रूप में लागू नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से और अवैध रूप से पदोन्नति से इनकार किया गया था-याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलती नहीं-अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों में कोई शर्त नहीं है कि याचिकाकर्ता को उसकी पदोन्नति की तारीख से वेतन वापस नहीं दिया जाएगा-याचिका की अनुमति दी गई, प्रतिवादी ने पदोन्नति की तारीख से पदोन्नति के पद से जुड़े सभी वित्तीय लाभों को जारी करने का निर्देश दिया।

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता को उसके कनिष्ठों को पदोन्नत किए जाने की तारीख से प्रभावी रूप से पूर्वव्यापी पदोन्नति दी गई थी। आदेशों में कोई शर्त नहीं थी कि याचिकाकर्ता को उसकी पदोन्नति की तारीख से मजदूरी वापस नहीं दी जाएगी। जब याचिकाकर्ता ने अपनी पदोन्नति की तारीख से मजदूरी वापस करने का दावा किया, तो उत्तरदाताओं ने 'काम नहीं, वेतन नहीं' के सिद्धांत को लागू करते हुए याचिकाकर्ता को मजदूरी देने से इनकार कर दिया। यह सिद्धांत वर्तमान मामले में दो कारणों से आकर्षित नहीं होगा-(1) याचिकाकर्ता को गलत तरीके से और अवैध रूप से पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था जब उसके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलती नहीं थी कि उसे उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था। 11 उच्चतर पद और पदोन्नति के दावे को विधिवत मान्यता दी गई थी और उसे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और उसे उस तारीख से प्रभावी रूप से पूर्वव्यापी पदोन्नति दी गई थी जब उसके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया थाः और (2) अपीलीय प्राधिकरण ने अर्ध न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ता की अपील का निर्णय करते हुए उसे उस तारीख से पूर्वव्यापी पदोन्नति प्रदान की थी जब उसके कनिष्ठों को पदोन्नति की तारीख से पिछले वेतन के भुगतान के लिए बिना किसी आरक्षण के पदोन्नत किया गया था। अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को प्रतिवादी नं. 1-बैंक और याचिकाकर्ता को रुपये के वेतनमान में पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नति दी गई थी। 4000-6000। इन दोनों आदेशों में, याचिकाकर्ता की पूर्वव्यापी पदोन्नति को बिना किसी आरक्षण के स्वीकार किया गया है, यदि प्रतिवादियों को यह दलील देने का कोई अधिकार नहीं है कि याचिकाकर्ता पदोन्नति की तारीख से मजदूरी का हकदार नहीं है, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता को अवैध रूप से पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था।

(Para 4)

जे. एस. माम्पुव याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता।
एस एस दलाल प्रतिवादी 1 के लिए अधिवक्ता
आई. एस. एस. अंतल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी नं. 2.

निर्णय

न्यायाधीश परमॉड कोहली के समक्ष

(1) शामिल विवाद को ध्यान में रखते हुए और संसदों के विद्वान वकील की सहमति से, इस याचिका का निपटान प्रस्ताव स्तर पर ही किया जाता है (याचिकाकर्ता प्रतिवादी नं. 2-नानक्लोआ प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड जहाँ उन्होंने 1979 से क्लर्क/सेल्समैन के रूप में काम किया। सोसायटी के कर्मचारी को प्रतिवादी सं. में बी ग्रेड सचिव के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। 1-पदोन्नति के माध्यम से बैंक, जिसके लिए 50% पद आरक्षित थे। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता, क्र. सं. में होने के बावजूद। वरिष्ठता सूची में 6, को इस तरह की पदोन्नति के लिए नजरअंदाज कर दिया गया था और वरिष्ठ संख्या में व्यक्ति। वरिष्ठता सूची के 33 और 155, अर्थात् जेसेट राम और रोहताश सिंह को 6 जुलाई, 2005 के प्रस्ताव द्वारा क्रमशः बी ग्रेड सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था। यदि याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए अपनी गैर-सहमति से व्यथित है उन्होंने सहकारी समितियों के पंजीयक, आई. लारियाणा के समक्ष एक वैधानिक अपील की।हाई ने कहा कि 5 जून, 2008 के आदेश के माध्यम से अपील की अनुमति दी गई थी और याचिकाकर्ता को उस तारीख से पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नत करने का आदेश दिया गया था, जिस दिन से उसके ऊपर नामित कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था। रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश के आधार पर, प्रतिवादी नं। 1-बैंक ने याचिकाकर्ता को 21 अगस्त, 2008 के आदेश (अनुलग्नक पी-2) के माध्यम से पदोन्नत किया, जिसमें उसे पूर्वव्यापी पदोन्नति प्रदान की गई।
दिनांक 21 अगस्त के आदेश का प्रासंगिक भाग। पूर्वव्यापी पदोन्नति प्रदान करने वाले 2008 को यहां निम्नलिखित के तहत पुनः प्रस्तुत किया गया है:-5 जून के निर्णय के अनुसरण में। 2008 का रजिस्ट्रार।
कॉप। सोसायटी 1 हरियाणा। पंचकूला और उसके बाद आर. सी. एस. ओ. द्वारा बैंक के प्रशासक मंडल का निर्णय। नं. 16. दिनांक 5 अगस्त। 2008 में। आप इसके द्वारा 6 जुलाई से पूर्वव्यापी के साथ बी ग्रेड के पद पर पदोन्नत हुए हैं। 2005 रुपये के नए वेतनमान में। 4000-100-4800-1:13-100-6000 निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर। आप आर्क करते हैं। इसलिए, 5 सितंबर तक अधोहस्ताक्षरित को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की सलाह दी गई। 2008 में।

(3) जब याचिकाकर्ता को उसकी पूर्वव्यापी पदोन्नति के कारण वापस मजदूरी नहीं मिली, तो उसने अपनी पदोन्नति की तारीख से वेतन जारी करने के लिए कानूनी नोटिस दिया। कानूनी नोटिस का जवाब प्रत्यर्थी नं. 1.-18 जून को दिए गए जवाब के माध्यम से। 2009 अधिवक्ता के माध्यम से भेजा गया (Annexure P-5). जवाब में (अनुलग्नक पी-5) याचिकाकर्ता को पदोन्नति की तारीख से वापस मजदूरी से इनकार कर दिया गया है i.c। 6 जुलाई। 2005 से i 0 सितंबर तक। 2008 नो वर्क नो पे आउट के सिद्धांत को लागू करना; यह प्रतिवादियों की उपरोक्त कार्रवाई के खिलाफ है कि याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की है।

(4) 1 ने संसद के लिए विद्वान परामर्श सुना है। अभिलेख पर यह स्वीकार की गई स्थिति है कि याचिकाकर्ता को ऊपर नामित अपने दो कनिष्ठों को पदोन्नत करते समय नजरअंदाज कर दिया गया था। पदोन्नति के लिए उनकी गैर-परामर्श के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और उनके कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से उनकी पूर्वव्यापी पदोन्नति के लिए निर्देश जारी किया गया था। - दिनांक 5 जून के आदेश को देखें। 2008 (Annexure P-1). अपीलीय प्राधिकरण के उक्त आदेश को प्रतिवादी नं. 1 और याचिकाकर्ता को पदोन्नति दी गई,-दिनांक 21 अगस्त के आदेश के साथ। 2008 (Annexure P-2). इन दोनों आदेशों में, याचिकाकर्ता को उस तारीख से पूर्वव्यापी पदोन्नति दी गई थी जब उसके ऊपर नामित कनिष्ठों को रुपये के नए पैमाने पर पदोन्नत किया गया था। 4000-6000 इस बात की कोई शर्त नहीं थी कि याचिकाकर्ता को उसकी पदोन्नति की तारीख से मजदूरी वापस नहीं दी जाएगी। जब याचिकाकर्ता ने अपनी पदोन्नति के वेतन से मजदूरी वापस करने का दावा किया, तो उत्तरदाताओं ने जवाब में याचिकाकर्ता को मजदूरी देने से इनकार कर दिया, जिसमें काम नहीं, भुगतान नहीं के सिद्धांत को लागू किया गया था। यह सिद्धांत वर्तमान मामले में दो कारणों से आकर्षित नहीं होगा।
याचिकाकर्ता को गलत तरीके से और अवैध रूप से पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था जब उसके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलती नहीं थी कि उसे उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था। उच्च पद और पदोन्नति के लिए उनके दावे को विधिवत मान्यता दी गई थी और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और उन्हें उनके कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से प्रभावी पूर्वव्यापी पदोन्नति दी गई थी; और (2) याचिकाकर्ता की अपील पर निर्णय लेते समय, अर्ध न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपीलीय प्राधिकरण ने

उन्हें उस तारीख से पूर्वव्यापी पदोन्नति प्रदान की थी जब उनके वरिष्ठों को पदोन्नति की तारीख से पिछले वेतन के भुगतान के लिए बिना किसी आरक्षण के पदोन्नत किया गया था। अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को प्रतिवादी नं. 1-बैंक और याचिकाकर्ता को रुपये के वेतनमान में पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नति दी गई थी। 4000-6000। इन दोनों आदेशों में, याचिकाकर्ता की पूर्वव्यापी पदोन्नति को बिना किसी आरक्षण के स्वीकार किया गया है। प्रत्यर्थियों को यह दलील देने का कोई अधिकार नहीं है कि याचिकाकर्ता पदोन्नति की तारीख से मजदूरी का हकदार नहीं है, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता को अवैध रूप से पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था। भारत संघ बनाम K.V के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर विधिवत विचार किया गया है। जानकीरमन (1) जिसमें यह निम्नलिखित रूप में देखा गया है:-

'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' का सामान्य नियम ऐसे मामलों पर लागू नहीं होता है जैसे कि वर्तमान में जहां कर्मचारी काम करने के इच्छुक होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा बिना उसकी गलती के काम से दूर रखा जाता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ कर्मचारी अपने कारणों से काम से दूर रहता है, हालाँकि उसे काम की पेशकश की जाती है"

(5) उपरोक्त निर्णय के बाद इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने सी. डब्ल्यू. पी. नं. 2005 का 12037 (सुदेश कुमार बनाम हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरा 2 फरवरी, 2006 को तय किया गया।

(6) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका की अनुमति दी जाती है। दिनांक 18 जून, 2009 का विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-5) इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। उत्तरदाता नं. 1 याचिकाकर्ता i.e की पदोन्नति की तारीख से प्रचार पोस्ट से जुड़े सभी वित्तीय लाभों को जारी करने का निर्देश दिया जाता है। 6 जुलाई, 2005 को 6% वार्षिक की दर से ब्याज के साथ तीन महीने की अवधि के भीतर।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

अनुराग यादव
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
Trainee Judicial Officer
नारनौल, हरियाणा